दिनांक 03.06.2024
प्रेस विज्ञप्ति 04/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद कानपुर देहात/थाना रसूलाबाद

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 03.06.2024 को थाना रसूलाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम दहेली के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सुरजीत कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना रसूलाबाद पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सुरजीत कुमार निवासी ग्राम जगदीशपुर थाना कमालगंज जनपद फर्रूखाबाद, हालपता कसाई मोहल्ला लेबर चौराहा थाना नोगांव जनपद छतरपुर मध्यप्रदेश।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना बीटा—2

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 09 लाख रूपये नगद**
- **02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 ब्रेजा कार बरामद**

दिनांक 02.06.2024 को थाना बीटा—2 व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों 1— चन्दन 2— सन्तोष कुमार 3— नितेश को

गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 09 लाख रूपये नगद, 02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 ब्रेजा कार बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 31.05.2024 को थाना बीटा–2 क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बीटा–2 पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना बीटा–2 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–चन्दन निवासी 2/68 डब्लू.एच.एस. कीर्तिनगर थाना कीर्तिनगर दिल्ली।

2–सन्तोष कुमार निवासी बेला पचरूखी थाना बिरौली जनपद समस्तीपुर बिहार, हालपता डी–48 ग्राउण्ड फ्लोर सरस्वती गार्डन थाना कीर्तिनगर दिल्ली।

3–नितेश निवासी चूना भट्टी कीर्तिनगर दिल्ली।

बरामदगी

1–लूट के 09 लाख रूपये नगद।

2–02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 01 ब्रेजा कार।

जनपद चित्रकूट/थाना मानिकपुर

•04 अभियुक्त गिरफ्तार

•लूट की घटना का अनावरण

•लूट के 02 लाख 20 हजार रूपये नगद

•लूट का मोबाइल फोन

•घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल

•01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद

दिनॉकः 02.06.2024 की रात्रि थाना मानिकपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डाडी कोलान तिराहा से 04 अभियुक्तों 1–नारायण कुमार

उर्फ छोटू 2–यासीन हसन उर्फ हसीन 3–रविकान्त 4–अयूब खान उर्फ राहत को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 02 लाख 20 हजार रूपये नगद, लूट का मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त यासीन हसन उर्फ हसीन के विरूद्ध जनपद चित्रकूट, म0प्र0 के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 16 अभियोग व अभियुक्त अयूब खान उर्फ राहत के विरूद्ध जनपद चित्रकूट, म0प्र0 के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–नारायण कुमार उर्फ छोटू निवासी ग्राम वीरपुर थाना धारकुण्डी जनपद सतना, म0प्र0।

2–यासीन हसन उर्फ हसीन निवासी कस्बा व थाना सिटी कोतवाली रीवा जनपद रीवा, म0प्र0।

3–रविकान्त निवासी सेलौरा थाना धारकुण्डी जनपद सतना, म0प्र0।

4–अयूब खान उर्फ राहत निवासी निपनिया कस्बा व थाना सिटी कोतवाली रीवा जनपद रीवा, म0प्र0।

<u>बरामदगी</u>

1–लूट के 02 लाख 20 हजार रूपये नगद।

2–लूट का मोबाइल फोन।

3–घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल।

4–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना टीला मोड़

•पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

•लूट के 06 हजार 500 रूपये नगद

•01 मोटर साइकिल

•02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनॉकः 02/03.06.2024 की रात्रि थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लोनी भोपुरा रोड़ पर लोनी की तरफ मोटर साइकिल सवार बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–सलीम उर्फ गुड्डू 2–सलमान उर्फ अजय घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 06 हजार 500 रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त सलीम के विरूद्ध जनपद मेरठ के विभिन्न थानों पर 34 अभियोग व अभियुक्त सलमान के विरूद्ध जनपद मेरठ के विभिन्न थानों पर आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना टीला मोड़ पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सलीम उर्फ गुड्डू निवासी मोहल्ला पूर्वा फईय्याज अली थाना दिल्ली गेट जनपद मेरठ।

2–सलमान उर्फ अजय निवासी मोहल्ला पूर्वा फईय्याज अली थाना दिल्ली गेट जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–लूट के 06 हजार 500 रूपये नगद।

2–01 मोटर साइकिल।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद सहारनपुर/थाना बिहारीगढ़

- **मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **03 किलो 450 ग्राम अवैध चरस बरामद**

दिनांक 02.06.2024 को थाना बिहारीगढ़ व थाना मिर्जापुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर धौला कुँआ चौराहा के पास से मादक पदार्थ की तस्करी कर रहे 04 अभियुक्तों 1–सलीम 2–नवाब 3–रसालू 4–लियाकत को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 03 किलो 450 ग्राम अवैध चरस बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना बिहारीगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सलीम निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।

2–नवाब निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।

3–रसालू निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।

4–लियाकत निवासी ग्राम टोली थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–03 किलो 450 ग्राम अवैध चरस।

- **जनपद बहराइच/थाना कैसरगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को मृत्युदण्ड की सजा व 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना कैसरगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/363/201 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राजेश उर्फ लाला को मृत्युदण्ड व 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद एटा/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड</u>**

जनपद एटा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद एटा द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/120बी/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–संजय 2–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>एसटीएफः जनपद मुरादाबाद में चल रही विभिन्न ब्राण्ड की नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भण्डाफोड़, भारी मात्रा में उपकरण व अन्य सामान बरामद, 03 व्यक्ति गिरफ्तार।</u>

दिनांक 02/06/2024 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को जनपद मुरादाबाद में अवैध रूप से संचालित नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भण्डाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में शराब बनाने के उपकरण, एल्कोहल, क्यूआर कोड रैपर आदि एवं 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–</u>

1– महेन्द्र पुत्र नन्दराम, निवासी शहजादी सराय, थाना कोतवाली सम्भल, सम्भल। (गैग लीडर)

2– हरिज्ञान पुत्र भगवानदास, निवासी ग्राम रायपुर, थाना कैला देवी, जनपद सम्भल।

2– सुरेन्द्र पुत्र मुन्नालाल, निवासी ग्राम खाता, थाना रजबपुर, जनपद अमरोहा।

<u>बरामदगीः–</u>

1– 450 लीटर एल्कोहल।

2– 69,200 अदद विभिन्न ब्राण्ड के ढ़क्कन।

3– 20,000 पन्नी ढक्कन सील करने वाली।

4– 25,000 नकली क्यूआर कोड होलोग्राम।

5– 01 डिब्बी नकली शराब बनाने में प्रयुक्त रंग।

6– 2500 रैपर रायल स्टैग।

7– 02 परखनली।

8– 29 शीषी 175 ML (देशी शराब फाइटर ब्रांड)

9– 58 शीशी खाली 175 एम0एल0 देशी व अंग्रेजी शराब।

10– 10 फ्रूटी/08 PM टेट्रा पैक।

11– 03 अदद मोबाइल।

12– 3200/–नकद।

<u>गिरफ्तारी का स्थानः–</u>

मकान नम्बर ई–69 की दीवार के बराबर में खाली प्लाट, सेक्टर 16, नया मुरादाबाद, थाना मझोला, जनपद मुरादाबाद। दिनांक 02/06/2024 समय–01.10 बजे रात्रि।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी समय से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में नकली शराब बनाने एवं बिक्री करने वाले गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री अब्दुल कादिर, पुलिस उपाधीक्षक एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई बरेली के पर्यवेक्षण में उ0नि0 राशिद अली, मु0आ0 मिरिजेश पोसवाल, मु0आ0 संदीप, मु0आ0 शिवओम पाठक, मु0आ0 नितिन, आ0 संजय यादव, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई बरेली की एक टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के दौरान विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि जनपद मुरादाबाद में अवैध रूप से नकली शराब की फैक्ट्री संचालित की जा रही है,

जिसमें विभिन्न ब्राण्ड की अंग्रेजी शराब बनायी जा रही है एवं आस–पास के जनपदों में उसकी सप्लाई की जा रही है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा जनपद मुरादाबाद के थाना क्षेत्र मझोला अन्तर्गत मकान नम्बर ई–69 की दीवार के बराबर में खाली प्लाट, सेक्टर 16, नया मुरादाबाद में चल रहे अवैध रूप से संचालित शराब फैक्ट्री का भण्डाफोड़ करते हुए 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया एवं मौके से उपराक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि वह विगत काफी समय से अवैध रूप से शराब बनाने की फैक्ट्री का संचालन कर रहे थे। इनके द्वारा विभिन्न ब्राण्डों के रैपर, होलोग्राम, ढ़क्कन आदि का प्रयोग करके अवैध शराब तैयार किये जाते थे, जिसको अलग–अलग साइज के शीशी में भरकर देशी शराब के ठेको पर सप्लाई किया जाता था। देशी शराब की दुकान नन्हेरा अल्यारपुर थाना अमरोहा देहात जनपद अमरोहा अनुज्ञापी मदनपाल सिंह, देशी शराब की दुकान शाहपुर थाना डिडौली जनपद अमरोहा, अनुज्ञापी खलील अहमद, ठेका देशी शराब शेरगढ थाना गजरौला जनपद अमरोहा सेल्समेन विपिन चौहान, ठेका देशी शराब मण्डी चौक अमरोहा थाना अमरोहा कोतवाली, अमरोहा सेल्समेन इमरान व ठेका अंग्रेजी शराब मण्डी अमरोहा, थाना कोतवाली अमरोहा, जनपद अमरोहा सेल्समैन यादव जी आदि शराब की दुकानों में सप्लाई करके आर्थिक लाभ कमाते थे। काशीपुर जनपद ऊधमसिंह नगर उत्तराखण्ड निवासी वाय सहाब उर्फ मोनू नाम के व्यक्ति से मण्डी गेट पर एल्कोहल की 50 लीटर की केन 15 हजार रूपये में खरीदते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना मझोला, जनपद मुरादाबाद में मु0अ0सं0 486/2024 धारा 420/467/468/471 भादवि व 60(2) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना मझोला जनपद मुरादाबाद द्वारा की जायेगी।

एस0टी0एफ0–पूर्वोत्तर के राज्यो से फर्जी एनओसी प्राप्त कर कूटरचित इंजन/चेसिस नम्बर से अलग–अलग राज्यो में रजिस्ट्रेशन कराकर उक्त वाहनो पर लोन लेने व विक्रय कर ठगी करने वालें गैंग के 02 सदस्य जनपद आगरा से गिरफ्तार।

दिनांकः 02–06–2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को पूर्वोत्तर के राज्यो से फर्जी एनओसी प्राप्त कर कूटरचित इंजन/चेसिस नम्बर से अलग–अलग राज्यों में रजिस्ट्रेशन कराकर उक्त वाहनो पर लोन लेने व विक्रय कर ठगी करने वाले गैंग के 02 सदस्यों को जनपद आगरा से गिरफ्तार करने मे उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण :–

1– बीकेन्द्र तोमर पुत्र गोपाल सिंह निवासी गांव बरौली गुर्जर, थाना डॉकी, जनपद आगरा।

2– देवेन्द्र सिंह उर्फ प्रेम पुत्र तुलाराम निवासी खेड़ा सिकरौदा नीमखेड़ा, थाना कंचनपुर धौलपुर, राजस्थान। हाल पता नगला बेरासाल इटोला, थाना मलपुरा, जनपद आगरा।

बरामदगी–

1. 10 अदद कूटरचित डेस बोर्ड
2. 08 अदद कूटरचित इंजन प्लेट
3. 05 अदद मोबाइल फोन
4. 03 अदद एटीएम कार्ड
5. 02 अदद आधार कार्ड
6. 01 अदद डी0एल0
7. नगद 970 रूपये।
8. 03 अदद फर्जी रजिस्टर्ड ट्रक न0 क्रमश–आरजे0–11 जीबी 9884, आरजे0–11 जीसी 0136, आरजे0–46 जीए 4970।
9. 01 अदद स्विफ्ट कार यू0पी0 80 जीएल 5256

गिरफ्तारी का दिनांक, स्थान व समयः–

दिनांकः 02–06–2024, स्थान ट्रांसपोर्टनगर चौकी के पास, थाना हरिपर्वत, कमिश्नरेट आगरा समय रात्रि करीब 23.45 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से पूर्वोत्तर के राज्यो से फर्जी एनओसी प्राप्त कर कूटरचित इंजन/चेसिस नम्बर से अलग–अलग राज्यो में रजिस्ट्रेशन कराकर उक्त वाहनो पर लोन लेने व विक्रय कर ठगी करने वाले गैंग के द्वारा अपराध कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री राकेश, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, आगरा के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांकः 02–06–2024 को अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि पूर्वोत्तर के राज्यो से फर्जी एनओसी प्राप्त कर कूटरचित इंजन/चेसिस नम्बर से अलग–अलग राज्यो में रजिस्ट्रेशन कराकर उक्त वाहनो पर लोन लेने व विक्रय कर ठगी करने वाले गैंग के सदस्य ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस चौकी के सामने मैदान में किसी काम से मौजूद हैं। इस सूचना पर निरीक्षक हुकुम सिंह, उ0नि0 धूम सिंह, मु0आरक्षीगण विवेक कुमार, कृष्णवीर सिंह, दिनेश चौधरी, बल्देव सिंह, प्रदीप यादव, आरक्षीगण हरपाल, प्रदीप चौधरी व आ0चालक बृजकिशोर एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई आगरा की टीम गठित कर स्थानीय पुलिस थाना हरिपर्वत जनपद आगरा को अवगत कराते हुए साथ लेकर आवश्यक घेराबन्दी कर उपरोक्त गैग के 02 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके पास से 03 अदद फर्जी रजिस्ट्रेशन लगे ट्रक न0 क्रमश–आरजे0–11–जीबी 9884, आरजे0–11–जीसी 0136, आरजे0–46–जीए–4970 व अन्य उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तो ने पूछताछ में बताया कि हमारे साथी मुकेश व कुमरसेन नागालैण्ड व मणिपुर से फर्जी एनओसी प्राप्त कर अलग–अलग प्रान्तों के जिलो के आर0टी0ओ0 में दाखिल कर फर्जी नाम से रजिस्ट्रेशन कराकर उक्त गाड़ी पर फर्जी व कूटरचित दस्तावेज से अलग–अलग बैंको से लोन लेकर उनमें सं कुछ गाड़ियो को विक्रय कर देते हैं व कुछ गाड़ियो पर पुन. कूटरचित चेसिस/इंजन न0 डालकर व पुनः एन0ओ0सी0 दाखिल कर लोन लेकर ठगी करते हैं। उक्त एन0ओ0सी0 व कूटरचित चेसिस/इंजन नम्बर की प्लेट व रजिस्ट्रेशन कराने के एवज में मुकेश व कुमरसेन प्रत्येक गाड़ी में एवज 05–06 लाख रू0 लेते हैं। यह भी बताया कि उक्त फर्जी कार्य धौलपुर, राजस्थान के आर0टी0ओ0 से मिलीभगत से कराते हैं, जिसके बारे में मुकेश व कुमरसेन ही जानते हं। हमारे साथी महेश के द्वारा कई वाहनो से फर्जी तरीके के लोन कराया है व जाहिद द्वारा वाहनो के फर्जी तरीके कटवाने का कार्य किया जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्तो कें विरूद्व थाना हरिपर्वत, जनपद आगरा में मु0अ0स0 229/2024 धारा 406/420/467/468/471 भादवि का अभियोग पंजीकृत कराकर दााखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है। वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

विकेन्द्र का ज्ञात अपराधिक इतिहास

क्रस0	अ0स0/धारा	थाना	जनपद
1	0651/2023 धारा 419/420 /467/468/471/411/34 भादवि	एत्माददौला	आगरा

———————